



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(Govt of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

संख्या: 3285-अरा-09(ब)/पाकालि/12-93-अरा0(09ब)/07(टी0सी0)

दिनांक: 18 / 10 / 2012

महत्वपूर्ण

समस्त डिस्कामों के अधीनस्थ

समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण क्षेत्र)

विषय : वरिष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर टी०जी-२ से अवर अभियन्ता प्रभारी पद पर तैनात किये जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कारपोरेशन के पूर्व परिपत्र संख्या-1451-अरा0-09(ब)/पाकालि/ 12-93-अरा0-09(ब)/07(टी०सी०), दिनांक 25.06.2012 को सम्यक विचारोपरान्त अवक्रमित/निरस्त करते हुये मुझे आपको यह सूचित करना है कि उक्त आदेश द्वारा क्षेत्रीय अभियन्ताओं को प्रदत्त अवर अभियन्ता (प्रभारी) तैनात किये जाने के अधिकार को तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्धित किये जाने का निर्णय लिया गया है एवं किन्ही अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि अवर अभियन्ता (प्रभारी) तैनात करना है तो निदेशक (का० प्र० एवं प्रशा०) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० का अनुमोदन सर्वप्रथम प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं तत्पश्चात ही क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अवर अभियन्ता (प्रभारी) तैनाती किया जाना सम्भव हो सकेगा। कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करावे।

भवदीय,

(ए० पी० मिश्रा)

प्रबन्ध निदेशक

संख्या-3285-अरा0-09(ब)/ पाकालि/12, तददिनांक

1. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०/कैस्को, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, आगरा, कानपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, छठवा तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (ट्रान्समिशन), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (जानपद-वितरण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. उपमहाप्रबन्धक (औस), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. उप विधि अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

(ए० पी० मिश्रा)

प्रबन्ध निदेशक